(31)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012 R- 4347-I/2012

रामलगन पिता छोटक लोहार, निवासी–ग्राम पचखोरा, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)

----आवेदक

श्री अमित भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 22-12-12 प्रस्तुत 22/12/12 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**बनाम**

1. रामबदन पिता लक्षनधारी विश्वकर्मा
2. देवनारायण पिता बलजीत,
3. छोटाई पिता बलजीत,

सभी निवासी–ग्राम पचखोरा तहसील व लि सिंगरौली (म.प्र.) ----**अनावेदकगण**

**न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक–78/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 12/11/2012 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

**माननीय महोदय,**

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–**

A Bhargava
अमित भार्गव
(अधि०)

1. यह कि, आवेदक का द्वारा विवादित भूमियाँ सन् 1961 में आपंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तद्नुसार तहसीलदार, सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक–97अ/64–65 में पारित आदेश दिनांक 19/05/1965 द्वारा आवेदक के नाम नामांतरण किया गया।
2. यह कि, इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा लगभग 41–42 वर्ष अत्यधिक विलंबित अपील प्रस्तुत की गई। आवेदक द्वारा विलंब के विषय में विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति की गई।
3. यह कि, दिनांक 26/04/2004 को अनावेदकगण की अपील उनकी

Itament(Rd-=I)

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4347–एक/12 जिला–सिंगरौली

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4–04–17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित होकर इस न्यायालय में कलेक्टर जिला सिंगरौली का प्रकरण कमांक 78/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.11.12 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>2– प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा विवादित भूमियां सन् 1961 में अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त किया। तदनुसार तहसीलदार सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 97अ/64–65 में पारित आदेश दिनांक 19.5.1965 द्वारा आवेदक के नाम नामांतरण किया गया। अनावेदकगण द्वारा इस आदेश के विरूद्व लगभग 41–42 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलंब अपील प्रस्तुत की गई आवेदक द्वारा विलंब के विषय में आपत्ति की गई और दिनांक 26.4.04 को अनावेदकगण की अपील उनकी अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज की गई। अनावेदकगण द्वारा प्रकरण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु धारा 35(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन दिनांक 22.6.04 को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया, और मूल प्रकरण स्थापित कर दिनांक 30.12.04 को आदेश परित कर अनावेदकगण की अपील स्वीकार की गई।<br>3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहाराया गया है जो उनके | |

द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रावधानों से उचित एवं सही है। उनके द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– प्रकरण के अवलोकन से तथा संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 35(3) का आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन उसको न ही दर्ज किया गया और न ही उस पर कोई आदेश पारित किया गया बिना दर्ज किये आवेदन खारिज़ किया जाना उचित नहीं मानता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय को पहले धारा 35(3) के आवेदन पर निर्णय लिया जाना चाहिये था, उसके पश्चात मूल प्रकरण में आदेश पारित करना चाहिये था। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.04 तथा पुर्नस्थापन के आवेदन पत्र प्रस्तुत अंतर्गत धारा 35(3) के आवेदन पत्र के निराकरण में की गई चूक के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः कलेक्टर जिला सिंगरौली का आदेश दिनांक 12.11.12 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली जिला सिंगरौली को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पहले आवेदन पत्र प्रस्तुत अंतर्गत धारा 35(3) के आवेदन पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निराकरण करें।

सदस्य